

वक्फ दरगाह पिरान कलियर शरीफ,
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

क्र० सं०

वक्फ दरगाह, पिरान कलियर
के लंगरखाने में प्रयोग होने वाली
खाद्य सामग्री हेतु निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2017-18

PARTICULARS OF TENDERS

- 1- Particulars of work : लंगर हेतु खाद्य सामग्री
- 2- Period of supply : Within 15 Days
- 3- Cost of tender form : Rs 500+12% GST= 560.00
- 4- Earnest money deposit
(EMD) : Rs 50,000/-
- 5- Tender forms Sell on : 14-01-2018 on 05-00 p.m.
- 6- Date and time of submission
of tender : Upto 02.00 P.M. on 15-01-2018
- 7- Date and time of opening
Tenders : Upto 3.00 P.M. on 15-01-2018
- 8- Receipt No. :Date
- 9- Name and address of the
Firm to whom tender
documents is Issued M/S.....
.....
.....
Tele No.....

कार्यालय वक्फ दरगाह पिरान कलियर शरीफ ।

निविदा प्रपत्र

रसीद संख्या.....

क्रमांक.....

दिनांक.....

निर्माता/फर्म का नाम.....

.....

प्रबन्धक,
दरगाह पिरान कलियर

कार्य का नाम :-लंगरखाने में प्रयोग होने वाली खाद्य सामग्री ।

1. टेण्डर आमन्त्रित करने का समय व दिनांक :- 15.01.2018, अपरान्ह 02 बजे तक ।
2. धरोहर धनराशि (EMD) :- रू0 50000 /- (FDR/CDR/NSC) के रूप में
3. निविदा खोलने का दिनांक :- 15.01.2018 समय अपरान्ह 03 बजे ।
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- रू0 560 /- जी0एस0टी0 सहित ।
6. निविदा की वैधता :- 30 दिन

वित्तीय निविदा प्रपत्र

क्र0 सं0	सामग्री का विवरण	दर	प्रति कु0/ प्रति कि0
1	आटा सादा (प्लेन)		
2	आटा बसन्ती		
3	दाल मसूर धुली		
4	दाल उडद धुली		
5	दाल मूंग धुली हुई		
6	चावल मोटा		
7	चावल बासमती		
8	तेल सरसों (उत्तरागोल्ड)		
9	घी गगन		
10	मिर्च पिसी हुई (एगमार्क)		
11	धनिया पिसा हुआ (एगमार्क)		
12	हल्दी पिसी हुई (एगमार्क)		
13	नमक पिसा हुआ		
14	जीरा		

15	सूजी		
16	चीनी		
17	सोडा (टाटा)		
18	मरकीन		
19	भाबड़		

हस्ताक्षर

निर्माता / फर्म.....

.....

.....

कार्यालय वक्फ दरगाह पिरान कलियर शरीफ ।

दरगाह पिरान कलियर के लंगर खाने में प्रयोग होने वाली खाद्य सामग्री की निविदा हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बिड के नियम/शर्तें

1. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जायेगी। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर यह घट/बढ़/निरस्त हो सकती है तथा इस हेतु किसी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. उक्त निविदा आमंत्रण के पश्चात खाद्य सामग्री से सम्बन्धित यदि किसी सामग्री विशेष की आपूर्ति हेतु भविष्य में जन हित में पुनः निविदा आमंत्रण को आवश्यक समझा जाता है, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून इस हेतु निर्णय लिये जाने हेतु स्वतन्त्र होगी।
3. तकनीकी बिड में सफल होने वाली फर्म की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
4. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को निर्धारित किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
5. निविदादाता द्वारा आपूर्ति पत्र प्राप्त होने के नियत समय के अन्दर वांछित सामग्री दरगाह कार्यालय के लंगरखाने तक उपलब्ध करानी होगी। मान्य कारण न होने के दशा में विलम्ब शुल्क, आपूर्ति आदेश मूल्य का 10 प्रतिशत प्रतिदिन लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है। इस हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
6. आपूर्ति सामग्री में किसी भी प्रकार की खराबी पाये जाने पर आपूर्ति आदेश निरस्त किए जाने एवं जमा की गयी जमानत राशि को दरगाह हित में जब्त किये जाने की कार्यवाही भी की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. सामग्री की दरें सभी कर, लाईसेन्स फीस, कार्टेज दरगाह के लंगरखाने तक वेट, लोडिंग/अन्लोडिंग आदि सहित दी जायें स्टोर में निर्धारित स्थान तक सामग्री को पहुंचाया जाना होगा। दी गयी दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय/कर अनुमन्य नहीं होगा।
8. निविदा प्रपत्र वक्फ दरगाह पिरान कलियर के कार्यालय से रू0 560/- जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
9. निविदा प्रपत्र के साथ EMD (धरोहर राशि) रू0 50000/- की FDR/CDR/ NSC जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून के पदनाम से बन्धक हो, संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। बिना धरोहर राशि की निविदा प्राप्त होने पर निरस्त समझी जायेगी।
10. वित्तीय प्रपत्र दरों को अक्षरो व शब्दों दोनों में पठनीय व स्पष्ट रूप से लिखा जायें।
11. निर्धारित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में निविदा किसी भी समय निरस्त कर दी जाएगी तथा निविदा प्रपत्र मूल्य व रक्षाधन जब्त कर लिया जायेगा।
12. धरोहर धनराशि निर्धारित समय या 31 मार्च अथवा ऑडिट होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। ऑडिट आपत्ति होने की दशा में ऑडिट आपत्ति की प्रतिपूर्ति निविदादाता से की जायेगी।
13. निविदा में दी जाने वाली दरों के साथ समस्त कर GST इत्यादि का उल्लेख करना आवश्यक होगा तथा GST पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
14. शासनादेशानुसार प्रस्तुत बिल से आयकर अथवा अधिकारी द्वारा किसी स्तर की अन्य कटौती होगी तो वह देयक के बिल से काटी जायेगी।
15. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को इस आशय का शपथ पत्र रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि किसी सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग से ब्लैक लिस्टिड नहीं है।
16. निविदा के साथ अपना नाम, पता, व्यापार करने का स्थान, टेलीफोन नं0, ई-मेल आदि दर्ज कराना होगा।

17. सशर्त एवं ओवर राईटिंग वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय निविदायें खोले जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि तक के लिये स्वीकृत हेतु वैध होगी।
18. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूडकी में निहित होगा।
19. आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति करने के पश्चात सामग्री की गुणवत्ता परीक्षण किये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जायेगा।
20. आपूर्तिकर्ता द्वारा समय से वांछित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है और आकस्मिकता के आधार पर बाजारी दरों के अनुसार क्रय की जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को अधिकार होगा कि सामग्री के क्रय में व्यय अन्तर धनराशि को आपूर्तिकर्ता ठेकेदार से वसूल किया जायेगा तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा बार बार आदेशों की अवहेलना करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसकी धरोहर राशि जब्त कर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाये जाने की कार्यवाही की जायगी, तथा उसे ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।
21. अधोमानक स्तर की सामग्री की आपूर्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफो में रखी जानी होगी। उक्त दोनों लिफाफे को बड़े लिफाफे में रखना होगा, उसमें आवेदित सामग्री के नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। तकनीकी लिफाफे पर "तकनीकी बिड" तथा वित्तीय बिड के लिफाफे पर "वित्तीय बिड" लिखा जाना अनिवार्य होगा। तकनीकी प्रपत्र तथा वित्तीय प्रपत्र को पृथक-पृथक लिफाफे में रखा जाना होगा। लिफाफो में समुचित रूप से बन्द सील किया जाना होगा, खुले लिफाफों पर निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
23. निविदादाता व वक्फ दरगाह पिरान कलियर के मध्य विवाद होने की दशा में न्याय क्षेत्र रूडकी होगा।
24. आपूर्ति की जाने वाली संख्या में घटोतरी/बढ़ोतरी/निविदा/निविदा स्थगन/निरस्त/परिवर्तन हो सकता है तथा इस हेतु किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

प्रबन्धक,

वक्फ दरगाह पिरान कलियर
जिला हरिद्वार।

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

नाम व पूरा पता.....

.....

मोबाइल न0

तकनीकी निविदा में निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1. उत्तराखण्ड राज्य का GST व आयकर पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड देना होगा।
2. वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र।
3. गत वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।
4. श्रम विभाग में वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रेशन के रूप में पंजीकृत।
5. आधार कार्ड की छाया प्रति।

हस्ताक्षर निविदादाता

मुहर